FIVE RUPEES पाँच रुपये दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप भोपाल

रीवी-1029-II/16

पुर्नस्थापन प्र.क. /16

श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री बोंदर सिंह
निवासी-ग्राम सोयत तहसील नसरूल्लागंज,
जिला-सीहोर ।

............आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती ममता पत्नी श्री स्वरूपसिंह
निवासी-ग्राम सोयत तहसील नसरूल्लागंज (रेहटी)
जिला-सीहोर ।

...............अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है :-

01. यह कि आवेदक ने अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 122/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व रिवीजन प्रकरण कमांक 3051द्वितीय/15 प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2016 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । जैसे ही जानकारी मिली अविलंब माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है ।

02. यह कि आवेदक अभिभाषक दिनांक 19.07.2016 को बीमारग्रस्त होने के कारण सम्माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके ओर न ही आवेदक को सूचित कर सके इस कारण सम्माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.07.2016 को उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया है जिसे प्रकरण के स्वच्छ, निष्पक्ष, समुचित न्याय संगत निराकरण हेतु पुर्नस्थापित किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है । प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में है यदि प्रकरण को पुर्नस्थापित नहीं किया गया तो आवेदक के वैधानिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होगे तथा वह सम्माननीय न्यायालय से स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगा।

03. यह कि विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धांत है कि अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये तथा प्रकरण को प्रकरण के स्वच्छ, निष्पक्ष, समुचित न्याय संगत निराकरण हेतु पुर्नस्थापित कर प्रकरण का निराकरण अंतिम गुणदोषो पर किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है ।

04. यह कि उक्त तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रिवीजन प्रकरण कमांक 3051द्वितीय/15 प्रेमबाई विरूद्ध ममताबाई दिनांक 19.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण को पुर्नस्थापित किया जावे जो न्यायोचित होगा।

भोपाल,दिनांकः21.07.2016

आवेदक

द्वारा-

अधिवक्ता

Resto - 9029 -II/16 सहेरा -

30.8.16	प्रस्तुतकार आवेदक आदि के ~~अधि~~ अधिवक्ता रघु उपस्थित। उन्हें रेस्टो० आवेदन पर पुनः गहन विचारोपरान्त रेस्टो० आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी क्र. 3051-II/15 पुनः नम्बर पर ली जाती है। प्रकरण वास्ते रिमार्क हो। (हस्ताक्षर)	

[पीछे देखिये